3.1.1

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,वाराणसी
विद्यावारिधि (पी-एच०डी०) उपाधि
अध्यादेश 2016/2021

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 की उपधारा-3 के अन्तर्गत सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) उपाधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम०फिल०/पी-एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुसार पूर्ववर्ती अध्यादेश के स्थान पर सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,वाराणसी विद्यावारिधि (पी-एच०डी०) उपाधि अध्यादेश 2016 निर्मित किया गया था। विश्वविद्यालय के आदेश सं.एस.एस.वी.वी./शै. 60/2021 दिनाङ्क 05 जुलाई 2021 के अनुपालन में अध्यादेश के संशोधनोपरान्त प्रस्ताव प्रस्तुत है।

1.01- यह अध्यादेश सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी विद्यावारिधि (पी-एच०डी०) उपाधि अध्यादेश 2016/2021 कहा जायेगा।

1.02- यह संशोधित अध्यादेश 2021-22 से प्रभावी होगा।

विद्यावारिधि स्थान की गणना

2.01- किसी भी समय आचार्य (प्रोफेसर) के अधीन 08 (आठ), उपाचार्य/सह आचार्य (एसो. प्रोफेसर) के अधीन 06 (छह) तथा प्राध्यापक/सहायक आचार्य (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) के अधीन 04 (चार) से अधिक छात्र पंजीकृत नहीं हो सकते है।

2.02- उपर्युक्त मानक एवं संख्या के आधार पर पूर्व मे पंजीकृत छात्रों की संख्या का विचार करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा वार्षिक आधार पर शोध निर्देशक के अधीन सम्भावित रिक्तियों की प्रबन्धनीय संख्या का निर्धारण संकाय सदस्यों के साथ परामर्श करके, सम्बन्धित संकायाध्यक्ष के माध्यम से कुलसचिव के पास भेजा जायगा। [illegible] के साथ विषय या विभाग से सम्बन्धित व्यापक क्षेत्र एवं अनुषङ्गी क्षेत्र का भी उल्लेख होगा।

2.03- विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) के लिए उपलब्ध स्थानों का निर्धारण पर्याप्त समय से पूर्व करके, उसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तथा विज्ञापन में प्रदर्शित किया जायेगा। विश्वविद्यालय विद्या-वारिधि के लिए उपलब्ध स्थानों का [illegible] विज्ञापन और निर्धारित क्रम में प्रवेश पंजीकरण करेगा।

2.04- प्रत्येक विभाग की रिक्तियों का विभाजन राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अन्तर्गत ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) और क्षैतिज (हारिजान्टल) रूप में सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित वर्गीकरण के साथ रहेगा।

2.05- अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत बहुविषयीय अन्तर्विषयी संस्थानों में विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) हेतु मूल्यांकन, [illegible] की पद्धति नियमित विभागों के समान ही होगी।

2.06- [illegible] अन्तर्विषयी संस्थानों में तब कोई आन्तरिक स्थान नहीं हो [illegible] संस्थानों में पूर्णकालिक नियमित अध्यापकों की नियुक्ति न हो जाय। [illegible] संस्थानों से सम्बद्ध अध्यापकों के अधीन इन संस्थानों में पंजीकृत छात्रों की संख्या को [illegible] अध्यापक के मूल विभाग की संख्या के साथ समाकलित किया जायेगा, जो कि आचार्य के अधीन [illegible] तथा उपाचार्य/सह आचार्य के [illegible] अधीन [illegible] से अधिक नहीं होगी। [illegible] संख्या की 02.01 [illegible] संख्या 02.01 में [illegible] से अधिक नहीं होगी।

28-8-2021

कुलसचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी

28/08/2021

वाराणसी